मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023

...

See details Hide details

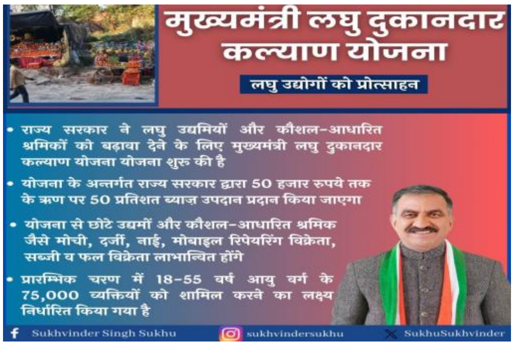

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी।

छोटे दुकानदार और व्यापारी ही किसी राज्य के व्यापार की बुनियाद होते है। अगर कोई भी प्रदेश के छोटे व्यापारी (लघु दुकानदार) आर्थिक रूप से संबल होंगे तब ही वह अपने व्यापार का विकास आसानी से कर सकेंगे। जिसका फायदा अंत में पूरे प्रदेश को ही मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के छोटे व्यापारी अपने व्यापार का विकास कर सके इसीलिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार छोटे व्यापारियों की उन्नति के लिए एक नई सरकारी योजना की घोषणा की है जिसका नाम मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना है।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना क्या है?

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत करने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान की है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के छोटे व्यापारियों को **₹50000** तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना की विशेष बात यह है कि इस लोन में जितना ब्याज देना होगा उसका आधा प्रतिशत ब्याज का वहन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में इस योजना का सफल संचालन होने से प्रदेश के छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकेंगे।**Himachal Pradesh Mukhyamantri Laghu Dukandar Loan Yojana** के तहत प्रदेश के छोटे व्यापारी जैसे की रेहड़ी पटरी वाले, मोची, नाई, चाय वाले आदि व्यापारियों को योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश सरकार का यह मकसद है कि इस योजना से प्रदेश के **75000** से भी अधिक व्यापारियों को कवर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

1. लघु दुकानदार कल्याण योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किया गया है।
2. इस योजना के माध्यम से राज्य के छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
3. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार को विकसित करने के लिए **50,000** रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. लाभार्थी को सरकार द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा उस लोन की राशि में ब्याज दर का **50%** भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बाकी का **50%** भुगतान आवेदक को स्वयं करना होगा।
5. Laghu Dukandar Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदक को प्रदान की जाने वाली लोन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
6. लाभार्थी इस राशि का उपयोग कर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं।

7. इस योजना के तहत राज्य के **75000** से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
8. यह योजना छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उनकी परेशानी को दूर करेगी।
9. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लघु दुकानदार कल्याण योजना को पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
10. Laghu Dukandar Kalyan Yojana का लाभ किसी भी वर्ग का व्यापारी उठा सकता है।
11. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

Himachal Pradesh Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana के पात्र लाभार्थी

-> मोची की दुकान चलाने वाले
-> दर्जी का काम करने वाले
-> मोबाइल रिपेयरिंग वाले
-> गैरेज की दुकान वाले
-> चाय के ठेले का काम करने वाले
-> कटलरी स्टोर वाले
-> किराना स्टोर वाले
-> नाई के दुकानदार
-> शाक भाजी एवं फ्रूट वाले व्यापारी

All Comments

Login to Post Comment

Activities

Be an active partner in nation-building. Participate in Groups, Tasks, Discussions, Polls, Blogs and Talks. Contribute Now!

Groups
Topics of your interest

Do
Online and Onground Tasks

Discuss
Group-centric and national themes

Poll
Make your opinion count

Blog
Updates, Experiences and MyGov Impact

Talk
Dialogue with decision makers

© Content owned, updated and maintained by the Himachal MyGov Cell. MyGov platform is designed, developed and hosted by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.